न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 56/2012

सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. नाथूलाल पुत्र श्री गोबरीलाल जाति धोबी निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील अप्रार्थी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांक: 05.12.2012

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्वत 2065–68 ग्राम सीसवाली में प्रार्थी के शामलाती खाते में कुल किता 19 रकबा 3.62 है0 आराजी दर्ज है। भाई बंटवारे में आपसी सहमति से प्रार्थी खसरा नं0 2722 रकबा 0.09 है0 और खसरा नं0 2723 रकबा 0.56 है0 काबिज काश्त है प्रार्थी से पूर्व उसके पिता नाथूलाल काबिज काश्त थें खसरा नं0 2722 और 2723 ही विवादित है। दौराने सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने अप्रार्थी नं0 1 का साबिक खसरा नं0 974 को बदल दिया और अप्रार्थी नं0 1 के साबिक खसरा नं0 2725 रकबा 0.18 है0 व खसरा नं0 2726 रकबा 0.06 है0 का हाल राजस्व नक्शा प्रार्थी के खाते के खेत खसरा नं0 977, 977/3013 व 975 के स्थान पर बना दिया जिसके हाल खसरा नं0 2722 रकबा 0.09 है0 व खसरा नं0 2723 रकबा 0.56 है0 है। अप्रार्थी नं0 1 के खेत का राजस्व नक्शा प्रार्थी के खाते के खेत में बना देने से अप्रार्थी नं0 1 आये दिन प्रार्थी से झगडा करता है प्रार्थी की आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी के खाते में दर्ज हाल खसरा नं0 2722 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 2723 रकबा 0.56 है0 का राजस्व नक्शा उसी जगह कायम किया जावें जहा पर साबिक खसरा नं0 977 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 978 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं0 977/3013 रकबा 1 बिस्वा तथा अप्रार्थी नं0 1 के हाल खसरा नं0 2725 रकबा 0.18 है0., खसरा नं0 2726 रकबा 0.06 है0 का राजस्व नक्शा उसी स्थान पर कायम किया जावें जहां पर अप्रार्थी नं0 1 का साबिक खसरा नं0 974 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा था।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 05.12.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार

मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2017/45 दिनांक 08.06.2017 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा नक्शा दुरूस्ती कराने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु पत्रावली में साबिक नक्शा व हाल नक्शा जमाबंदी नकल तथा मिलान क्षेत्रफल इस कारण उक्त प्रकरण की तथ्यात्कम टिप्पणी प्रस्तुत नही की जा सकती है नक्शा दुरूस्ती प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अतः उक्त प्रकरण का वाद धारा 88, 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना के साथ मिलान क्षेत्रफल व हाल नक्शा संलग्न नही किया है अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली मजमेंआम में सुनाया गया।